जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, फर्रूखाबाद की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 15.03.2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त

पत्रांक– 359 / JJM-02 / 69 दिनांक 15/3/24

जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1 के शा0दे0–95 / छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल / 2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211 / 38–5–2010–20 स्वजल / 2010 (टी0सी0–अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 15.03.2024 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण उपस्थित पंजिका मे अकिंत है। **(संलग्नक–1)**

(1) विगत बैठक के निर्देशों की अनुपालनः–

अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव द्वारा पिछली बैठक की अनुपालन की पुष्टि से अवगत कराया गया।

(2) जल जीवन मिशन फेज–2 एवं फेज–3 की प्रगति की समीक्षाः–

अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन फेज–02 के अन्तर्गत 227 नग पेयजल योजनाओं पर मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0 लि0, हैदराबाद द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 255 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 251 नग ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण कर लिया गया एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 227 नग उच्च जलाशय के सापेक्ष 18 नग उच्च जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अवशेष पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, 255 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 91 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण है एवं अवशेष निर्माणाधीन है, 227 नग सोलर के सापेक्ष 147 नग सोलर स्थापित कर दिये गये है एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 1819 कि0मी0 वितरण प्रणाली के सापेक्ष 1691 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछा दी गयी है एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 113816 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 96480 नग गृह जल संयोजन उपलब्ध करा दिये गये है, 255 नग क्लोरीनेशन प्लान्ट के सापेक्ष 58 नग क्लोरीनेशन प्लान्ट अधिष्ठापित कर दिये गये है। यह भी अवगत कराना है कि विगत बैठक के उपरान्त अतिरिक्त 04 नग उच्च जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण एवं 12 नग पेयजल योजनाओं पर जलापूर्ति चालू की गई है।

अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन फेज–03 के अन्तर्गत 151 नग पेयजल योजनाओं पर मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजी0 लि0, नोएडा द्वारा कार्य कराया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 151 नग पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य प्रस्तावित है जिसमे 168 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 164 नग ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण कर लिया गया एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 154 नग उच्च जलाशय के सापेक्ष 07 नग उच्च जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अवशेष पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, 168 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 55 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण है एवं अवशेष निर्माणाधीन है, 124 नग सोलर के सापेक्ष 53 नग सोलर स्थापित कर दिये गये है एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 1722 कि0मी0 वितरण के सापेक्ष 1673 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछा दी गयी है एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 80073 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 58886 नग गृह जल संयोजन उपलब्ध करा दिये गये है, 168 नग क्लोरीनेशन प्लान्ट प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष 01 नग क्लोरीनेशन प्लान्ट अधिष्ठापित कर दिया गया है अवशेष पर अधिष्ठापन की कार्यवाही प्रगति पर है। यह भी अवगत कराना है कि विगत बैठक के उपरान्त अतिरिक्त 02 नग उच्च जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण एवं 05 नग पेयजल योजनाओं पर जलापूर्ति चालू की गई है।

उक्त के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दोनो फर्मो के प्रतिनिधियों को निम्न निर्देश दियेः–

(i) उच्च जलाशय के निर्माण कार्यो में अपेक्षाकृत प्रगति न होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोष व्यक्त किया गया साथ ही उच्च जलाशय पर विशेष ध्यान देकर गति बढाने हेतु दोनो फर्मो को निर्देश दिये गए तथा श्रम शक्ति बढाकर समस्त उच्च जलाशयों पर नियमित रूप से प्रतिदिन कार्य कराया जाये जिससे समस्त उच्च जलाशयों का कार्य माह जून, 2024 तक पूर्ण किया जा सके।

(ii) जिन ग्रामों में उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवंटित भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय में केस लम्बित है उसकी नियमित पैरवी सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।

(iii) जिन ग्रामों में वितरण प्रणाली बिछाने हेतु रोड तोडी गई है एवं जिन ग्रामों में रोड की मरम्मत की गई है, की सूची बनाने एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से सत्यापन कराकर अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से सूची अग्रिम 10 दिवस में प्रेषित करने हेतु दोनो फर्मो के प्रतिनिधियों को निर्देश दिये गये, साथ ही कठोर निर्देश दिये यदि 10 दिवस के उपरान्त वितरण प्रणाली बिछाने के कारण सड़क मरम्मत सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध कार्यवाही करने की संस्तुति शासन को कर दी जायेगी।

(iv) जिन ग्रामों में वितरण प्रणाली के कार्य किये जा चुके है उनमें क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति नियमित रूप से रोस्टर बनाकर करने के निर्देश दिये गये।

Scanned with OKEN Scanner

(v) जिन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है उन ग्रामों में समस्त गृह संयोजन पूर्ण कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा हर घर जल प्रमाणीकरण करायें एवं हर घर जल कराने पर विशेष ध्यान देंने के निर्देश दिये गये।

(4) नल जल मित्र के चिन्हॉकन की प्रगतिः–

अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव अवगत कराया गया कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) फर्रूखाबाद के पत्रांक 265/प्रशिक्षण/09 दिनांक 29.02.2024 के द्वारा जिला पंचायतराज अधिकारी, फर्रूखाबाद से नल जल मित्र के चिन्हॉकन उपरान्त विवरण से कौशल विकास विभाग को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराने को अनुरोध किया गया था परन्तु वर्तमान तक नल जल मित्र की प्रगति से जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नही कराई गई है जिस पर नल जल मित्र की चयनित सूची बनाने हेतु जिला पंचायतराज अधिकारी फर्रूखाबाद को निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह में सूची बनवाकर अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) एवं कौशल विकास विभाग को उपलब्ध कराये साथ ही पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं पर अधिशासी अभियन्ता एवं जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देश दिये गये कि आपसी समन्वय स्थापित कर पेयजल योजनाओं का सुचारू संचालन कराये जिससे ग्रामवासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यदि किसी क्षेत्र में ग्रामवासी पाइप पेयजल योजना से सुचारू जलापूर्ति वर्तमान में नही हो रही है तो स्थानीय खराब हैण्डपम्पों को तत्काल रिबोर कराये जिससे त्वरित राहत प्रदान की जा सके।

(5) आई0एस0ए0 बीजक का सत्यापनः–

अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद फर्रूखाबाद हेतु नामित आई0एस0ए0 मै0 सर्वार्थ सेवा संस्थान ने क्लस्टर A-3 एवं A-4 के इम्पलीमेंटेशन फेज (द्वितीय फेज) के बीजकों को पत्रांक–मेमो/S.S.S/BILL/A-3/2023-24 दिनांक 03.02.2024 द्वारा रू0 1447875.00 पत्रांक–मेमो/S.S.S/BILL/A-4/2023-24, दिनांक 03.02.2024 द्वारा रू0 1522125.00 एवं क्लस्टर A-5 पत्रांक–मेमो/S.S.S/BILL/ A-5/ 2023-24 दिनांक 01.02.2024 द्वारा रू0 1790250.00 कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) फर्रूखाबाद में प्रस्तुत किया गये। उक्त सभी क्लस्टर संख्या– A-3, A-4, A-5 के उपलबध कराये गये अभिलेखों की जाँच परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा की गयी जिसकी भुगतान की संस्तुति की गयी। उक्त बीजकों का परीक्षणोपरान्त डी0पी0एम0यू0 द्वारा अपने पत्रांक संख्या–MTCPL/SWSM/DPMU/2023-24/117084 DATE: 06-03-2024 के द्वारा भुगतान हेतु रिपोर्ट कार्यालय अधिशासी अभियन्ता को प्रस्तुत की।

अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि **शासनादेश सं–65/2022/3396/छियत्तर –1–2022–03 सम/2022 दिनांक 03.10.2022 के द्वारा भुगतान की प्रक्रिया से अवगत कराया गया है, शासनादेश के बिन्दु सं0 2(iv) में निर्देश हे कि "अधिशासी अभियन्ता , उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा आई0एस0ए0 की आर0एफ0पी0 के अनुसार फेजवाइज गतिविधियों का अभिलेख एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ/वीडियो प्राप्त कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराकर तथा जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर ही आई0एस0ए0 के बिलों के भुगतान की कार्यावाही की जायेगी"**। जिसके फलस्वरूप सदस्य सचिव उपरोक्त बीजकों से सम्बन्धित गतिविधियों के फोटो/वीडियों इत्यादि समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता एवं आई0एस0ए0 एजेन्सी को निर्देश दिये गये कि गतिविधियों का विवरण जिला विकास अधिकारी फर्रूखाबाद को उपलब्ध कराये तथा जिला विकास अधिकारी फर्रूखाबाद को निर्देशित किया गया कि गतिविधियों का सत्यापन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से कराते हुये अग्रिम 07 दिवस में अवगत कराये।

(6) आई0ई0सी0 की कार्ययोजनाः–

अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव अवगत कराया गया कि जनपद फर्रूखाबाद के राजस्व ग्रामों में IEC गतिविधियों हेतु 05 संस्थाओं क्रमशः–1 M/s Amber private ltd. Lucknow . 2. M/s Janki Prasad memorial Research and education trust, Maharajganj. 3.M/s Sangyan, Lucknow. 4. M/s Swajan Foundation, lucknow. 5. M/s Wilson green Industries private ltd Gujrat . द्वारा कार्य आवंटन हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम में निर्णय लेने हेतु अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), फर्रूखाबाद के पत्रांक– 320, 321, 322, 323, 324 दिनांक 07.03.2024 द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं से कार्य योजना प्रस्ताव PPT के रूप में उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, जिसके क्रम में 04 संस्थायें क्रमशः– 1- M/s Amber private ltd. Lucknow . 2. M/s Janki Prasad memorial Research and education trust, maharajganj. 3. M/s Sangyan, lucknow. 4. M/s Swajan Foundation, lucknow. द्वारा **PPT** एवं कार्य योजना उपलबध करायी गयी है, प्राप्त प्रस्तावों पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसहमति से "Social Mapping displaying habitation of village & water source to inculcate Sanitaion water hygiene issues & promoting FHTC" की गतिविधि कराने तथा FTK USER (महिलाओं) को " Printed cap of JJM logo , एवं Printed t-shirt with jjm branding" उपलब्ध कराने पर सहमति दी गई जिससे अधिक से अधिक ग्रामवासियों को योजना के बारें में जागरूक किया जा सके।

उपरोक्त गतिविधि के क्रियान्वयन एवं समग्री वितरण हेतु संस्थाओं का चयन एवं क्षेत्र आवंटन पर समिति द्वारा संस्तुति की गयी जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष के द्वारा किया गया जो कि निम्नवत् है।

Scanned with OKEN Scanner

क्रमस0	एजेन्सी का नाम	ब्लाक नाम
1	M/s Swajan Foundation, lucknow	राजेपुर
2	M/s Amber private ltd. Lucknow	कायमगंज, नबावगंज
3	M/s Janki Prasad memorial Research and education trust, maharajganj	कमालगंज, बढ़पुर, मोहम्दाबाद, शमसाबाद

उक्त गतिविधियों के आयोजन एवं सामग्री वितरण में अनुमानित व्यय अधिशासी निदेशक, SWSM के पत्रांक 5147/W-314/JJM/Agency emplement/2022-23 दिनांक 28.02.2024 के स्वीकृति दरों के अनुसार निम्नवत् होगा।

Description of work/Item	Item	GP/Village	No. per GP/Vill	Rate(exl. GST)	Amount
FTK USER	CAP	841	5	80	336400.00
VWSC MEMBER	T-SHIRT + CAP	580	15	(250+80)=330	2871000.00
Social Mapping displaying habitation of village & water source to inculcate sanitation water hygiene issues & promoting FHTC	ACTIVITY	841	1	3950	3321950.00
TOTAL					**6529350.00**

इस प्रकार कुल रू0– 6529350.00(GST रहित) तथा 18% GST सम्मलित करने के उपरान्त रू0–7704633.00(GST सहित) का व्यय होगा जो कि स्वीकृत धनराशि रू–8542878.00 से कम है जिसके फलस्वरूप मिशन कार्यालय के पत्रांक 3669 दिनांक 30 नवम्बर, 2023 में दी व्यवस्था के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

धन्यबाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रूखाबाद

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, किसान बाजार विभूती खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी फर्रूखाबाद।
4. जिला विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) फर्रूखाबाद।
6. मै0 बी0एल0जी0, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्र0लि0 टी0पी0आई0, फर्रूखाबाद।
7. मै0 मेंधज टेक्नों कान्सेप्ट प्रा0लि0 डी0पी0एम0यू0 फर्रूखाबाद।
8. मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0लि0 हैदराबाद।
9. मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजीनियर्स प्रा0लि0 जे0वी0 नोएडा।

15/03/2024

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रूखाबाद

Scanned with OKEN Scanner